



न्यायालय: सिविल जज, जूनियर डिवीजन, महाराजगंज, (सिवान)

उपस्थित: कंचन यादव

T.S.-10/2006, Reg. No.-338/2025

मैनेजर महतो व अन्य बनाम रामदास सिंह व अन्य



23.07.2025 वादी की हाजरी है। वाद पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी की तरफ से दिनांक 01.02.2022 को आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत एक आवेदन दाखिल किया गया। सुना गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी सं० 1 रामदास सिंह की मृत्यु दिनांक 06.11.2021 को हो गई जो अपने पीछे अपनी पत्नी लालमति कुंवर तथा एकमात्र पुत्र पूरन सिंह एवं एकमात्र पुत्री मीरा देवी को छोड़कर मरे। आवेदन समय सीमा के अन्दर है। वाद के निस्तारण के लिए इस वाद के प्रतिवादी सं० 1 के वारिसानों को पक्षकार बनाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः दिए गए आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय आवेदनानुसार प्रतिवादी सं० 1 के स्थान पर उनके वारिशानों का नाम प्रतिस्थापित करें। तत्पश्चात कार्यालय उनकी उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करें। वाद दिनांक 18.08.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

(ले०)

(कंचन यादव)  
सिविल जज, जूनियर डिवीजन  
महाराजगंज